न्यायालय अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश, (NDPS Act), कोर्ट नम्बर–5, कानपुर देहात।
उपस्थित– पूनम सिंह–I (उच्चतर न्यायिक सेवा उ.प्र.) (J.O.Code–U.P.–1631)

UPRN010022142021

1– सेशन केस संख्या– 517 सन 2021

उत्तर प्रदेश सरकार।
बनाम
सुनीता देवी उर्फ बबीता, पति स्व. राजकुमार महतो, निवासी– खुरईयाँ वार्ड नम्बर–18, थाना चोरासन, जनपद मोतिहारी, बिहार। हाल पता– बिस्किट फैक्ट्री रनियां, कानपुर देहात।

मु.अ.सं.–32/2021,
धारा–20(B)(ii)(C) NDPS Act,
थाना–चौबेपुर, जिला–कानपुर नगर।

एवं

UPRN010022152021

2– सेशन केस संख्या–518 सन 2021

उत्तर प्रदेश सरकार
बनाम
हसीना खातून उर्फ गोलू, पति निजामुद्दीन, निवासी भेलाई बाजार, (झोपड़पट्टी), थाना भेलाई, जनपद मोतिहारी, बिहार राज्य। हाल पता– बिस्किट फैक्ट्री रनियां, कानपुर देहात।

मु.अ.सं.–33/2021,
धारा–20(B)(ii)(C) NDPS Act,
थाना–चौबेपुर, जिला–कानपुर नगर।

Digitally signed by POONAM SINGH
Date: 2025.05.29 12:42:48 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

एवं

UPRN010022132021

3– सेशन केस संख्या–516 सन 2021

उत्तर प्रदेश सरकार

बनाम

कमलेश मिश्रा, पुत्र स्व. इन्द्रनारायण मिश्रा, निवासी–पिपरी रोड, चौबेपुर, थाना–चौबेपुर, जनपद कानपुर नगर।

मु.अ.सं.–34/2021,
धारा–20(B)(ii)(C) NDPS Act,
थाना–चौबेपुर, जिला–कानपुर नगर।

<u>निर्णय</u>

1– विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्तागण को विस्तृत रूप से सुना तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

2– सेशन केस संख्या–517/2021, मुकदमा अपराध संख्या–32/2021, राज्य प्रति सुनीता देवी उर्फ बबीता में अभियुक्त सुनीता देवी उर्फ बबीताका विचारण धारा–20(B)(ii)(C) एन.डी.पी.एस.एक्ट, के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हेतु किया जा रहा है।

[i]– उक्त से संबंधित दूसरा सेशन केस संख्या–518/2021, मुकदमा अपराध संख्या–33/2021, राज्य प्रति हसीना खातून उर्फ गोलू में अभियुक्त हसीना खातून उर्फ गोलू का भी विचारण धारा–20(B)(ii)(C) एन.डी.पी.एस.एक्ट, के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हेतु किया जा रहा है।

[ii]– तीसरा संबंधित सेशन केस संख्या–516/2021, मुकदमा अपराध संख्या–34/2021, राज्य प्रति कमलेश मिश्रा, में अभियुक्त कमलेश मिश्रा का भी विचारण धारा–20(B)(ii)(c)एन.डी.पी.एस.एक्ट, के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हेतु किया जा रहा है।

3– उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत उपरोक्त समस्त सेशन केस, तत्कालीन सप्तम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (NDPS Act), कानपुर देहात, के

द्वारा लिए गए संज्ञान एवं सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण हेतु प्रस्तुत किए जाने पर आधारित है।

4– उल्लेखनीय है कि उपरोक्त समस्त सेशन केस एक ही तिथि, घटनास्थल पर तैयार की गयी एक ही फर्द से संबंधित है।

न्यायालय द्वारा सेशन केस संख्या–517/2021,की पत्रावली को लीडिंग पत्रावली नियत करते हुए, साक्ष्य की कार्यवाही उक्त समस्त वादों के बाबत सेशन केस संख्या–517/2021, सरकार बनाम सुनीता देवी उर्फ बबीता, अंतर्गत धारा–20(B)(ii)(C) स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम,में ही की गयी है। उक्त समस्त वादों के गवाहान भी एक व सामान है। सुविधा की दृष्टि से उक्त समस्त सेशन केस का विचारण एक साथ किया जा रहा है।

5– अभियोजन कथानक सारतः यह है कि सूचनाकर्ता/वादी मुकदमा देवेन्द्र सिंह,तत्कालीन उपनिरीक्षक, थाना चौबेपुर, जनपद कानपुर नगर, के द्वारा फर्द प्रदर्श क–3 के आधार पर, प्रथम सूचना रिपोर्ट, इस आशय की पंजीकृत करायी गयी कि दिनांक 17.02.2021 को वादी मुकदमा उपनिरीक्षक देवेन्द्र सिंह मय उपनिरीक्षक श्री संजय कुमार शुक्ल मय म.उ.नि.यू.टी. बबिता मिश्रा व म.उ.नि.यू.टी. प्रियका यादव व महिला कां. कमला को STF इकाई कानपुर नगर में नियुक्त, एचसी धरमपाल, द्वारा दूरभाष से प्राप्त सूचना की, कुछ महिला बिहार से नाजायज चरस कस्वा चौबेपुर में बिक्री हेतु लेकर आयी है और कस्वा चौबेपुर में ही बेचने के लिए प्रयासरत है, एसटीएफ ईकाई द्वारा प्राप्त इस सूचना पर मुझ उ.नि. द्वारा कस्वा चौबेपुर में व थाना क्षेत्र में ड्यूटीरत रवानाशुदा UP 77 जी0 0537 के उ.नि. श्री दिवान सिंह मय पिस्टल व कारतूस एव कां. 3317 शिव ओम मय इंसास रायफल, मय हो.गा. राजूलाल के तलब कर हमराह लेकर कस्बा चौबेपुर पहुंचा। कस्बे में ही स्थानीय STF ई. के एचसी धरमपाल व एचसी राजकुमार एचसी मोहर सिंह तथा कां. धीरेन्द्र कुमार मय राजकीय वाहन UP32 BG4402 के मिल गये और एसटीएफ ईकाई को भी हमराहा लिया गया और हम सभी पुलिस बल द्वारा कस्बे में ही घूम फिरकर अपने स्रोतो से बिहार से आयी चरस लेकर महिलाओं के पतारसी सुरागरसी में लग गये। जरिए मुखबिर खास सूचना मिली कि दो महिलाएं इस समय बैनाही बाजार चौबेपुर में नाजायज चरस लेकर खड़ी है और ग्राहकों के आने का इन्तजार कर रही है। मुखबिर की प्राप्त इस सूचना पर विश्वास करके हम पुलिसवालों ने जनता के आने–जाने वाले कई व्यक्तियों से मकसद बताकर गवाही हेतु कहा गया, किन्तु भलाई–बुराई के कारण जनता का कोई व्यक्ति गवाही हेतु तैयार नहीं हुआ। अतः वहालत मजबूरी की हम पुलिसवालों ने आपस में मय मुखविर के एक–दूसरे की जामातलाशी ले देकर विश्वास किया कि किसी के पास अपराध सम्बन्धित कोई वस्तु नहीं है और फिर सभी पुलिसवालों मय मुखबिर के बैलाही बाजार में अपने को लुकते छिपते पहुंचे तो एक पेड़ के नीचे खड़ी 02 औरतों की ओर इशारा कर मुखविर चला गया, तभी एक व्यक्ति उन औरतों के पास और आया तथा हम पुलिसवालों को देखकर एकदम से तेज कदमों से भागना चाहे

कि बदमाश होने के शक पर हम पुलिसवालों ने दौड़कर घेर कर महिला उ.नि. एवं म.कां. की मदद से दोनों महिलाओं को रोक लिया तथा पुलिस वालों ने उस एक व्यक्ति को भी रोक लिया और भागने का कारण पूछा गया तो रोकी गयी दोनो महिलाओ ने म.उपनिरिक्षकों द्वारा पूछने पर पहले इधर उधर की बातें बताते हुए व मुश्किल तमाम बताया कि दीदी हम लोगों के पास मुश्किल तमाम चरस था, इसलिए आप लोगों को देखकर भागी थी एवं पकड़े गये पुरूष ने बताया कि मैंने अभी इन्हीं दोनों महिलाओं से चरस खरीदा है और पैसे लेने जाने वाले थे कि आपने पकड़ लिया। चूंकि पकड़ी गयी दोनों महिलाओ एवं पुरूष ने अपने पास नाजायज चरस होना बताया है और NDPS ACT के प्रावधानों के अनुसार रोके गये किसी व्यक्ति की तलाशी मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस राजपत्रित अधिकारी द्वारा ली जाती है। दोनों महिलाओ एवं पुरूष को किसी मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस राजपत्रित अधिकारी के पास चलने को कहा गया तो दोनो महिलाओं एवं पुरूष ने कहा कि साहब जब आपने पकड़ ही लिया तो तलाशी भी आप ही ले ले। किसी मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस राजपत्रित अधिकारी को गवाह क्यों बनाऊं और रोकी गयी दोनों महिलाओं एवं पुरूष ने अपना लिखित सहमति पत्र मुझ उ.नि. को उपलब्ध कराया। तत्पश्चात रोकी गयी, दोनों महिलाओं के नाम,पते पूछते हुए महिला उ.नि. प्रियंका यादव द्वारा अलग–अलग तलाशी ली गयी तो एक महिला ने अपना नाम सुनीता देवी उर्फ बवीता पत्नी स्व. राज कुमार महतो नि.–खुरईयाँ वार्ड नम्बर–18 थाना घोरासान जनपद मोतिहारी बिहार उम्र 35 वर्ष बताया जिसकी म.उ.नि. द्वारा तलाशी ली गयी तो दाहिने हाथ में पकड़े पेपर बैग जिस पर दोनों ओर अंग्रेजी में विशाल गारमेन्ट्स मेन मार्केट रक्सौल लिखा है, में रखा हुआ चरस नाजायज 03 पैकेट जिनपर पीले रंग का टेप चपका हुआ बरामद हुआ,जिसकी तौल विवेचना किट में मिली इलेक्ट्रानिक तराजू से की गयी तो कुल 1.590 ग्राम पाया गया, जिसमें से नमूना हेतु परीक्षण के लिए लगभग 100 ग्राम चरस निकालकर एक सफेद कपड़े में रखकर अलग सील सर्व मोहर कर एवं शेष चरस 1.490 ग्राम अलग उसी थैले में रखकर कपड़े में सील सर्व मोहर कर अलग–अलग नमूना मोहर बनाये गये।

दूसरी महिला ने अपना नाम हसीना खातून उर्फ गोलू पत्नी निजामुद्दीन नि.–भेलाई बाजार (झोपड़पट्टी) थाना भेलाई, जनपद मोतिहारी बिहार उम्र 25 वर्ष की तलाशी म.उ.नि. द्वारा ली गयी तो दाहिने हाथ मे पेपर बैग जिस पर दोनों ओर हिन्दी मे एक ओर जय नेपाल साड़ी शोरूम एवं एक ओर हिन्दी मे उत्सव बेडसीट, उलेन, सलवार सूट, पर्दा, ड्रेस मैटेरियल 1st Floor जय नेपाल के ऊपर लोहा पट्टी, रोड रक्सौल लिखा है, में रखा हुआ 03 बन्डलों में जिनपर पीले रंग का टेप चपका है, बरामद हुआ जिसको वादी उ.नि. द्वारा सूंघकर देखा गया एवं हमराही पुलिस बल को सूंघाया गया तो चरस की बू आ रही थी एवं तौल की गयी तो वजन 1.566 ग्राम पाया गया, जिसमें से 100 ग्राम चरस निकालकर अलग नमूना के लिए निकालकर सफेद कपडे में रखकर नमूना मोहर बनाया गया।

पकड़े गये पुरूष ने पूछने पर अपना नाम कमलेश मिश्रा पुत्र स्व. इन्द्रनारायण मिश्रा नि.– पिपरी रोड चौबेपुर, थाना चौबेपुर कानपुर नगर उम्र करीब 50 वर्ष बताया कि जामा तलाशी मुझ SI द्वारा ली गयी तो दाहिने हाथ में पकडे एक पिली प्लास्टिक के थैली में नाजायज चरस जिसकी तौल इलेक्ट्रानिक तराजू से की गयी तो कुल 1.572 ग्राम पाया गया। अतः बरामद नाजायज चरस से 100 ग्राम चरस निकालकर अलग नमूना के सील सर्व मोहर कर अलग नमूना मोहर बनाया गया। पकड़े गये उपरोक्त दोनों महिलाओं व एक पूरूष का यह कृत्य जुर्म धारा 8/18 NDPS ACT के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः तीनों को कारण गिरफ्तारी बताकर समय करीब 14.30 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया एव फर्द मुझ उ.नि. द्वारा बोल–बोलकर हमराहा उ.नि. महिला प्रियंका यादव में लिखाकर हमराही पुलिस बल को पढ़कर, सुनाकर हस्ताक्षर बनवाये गए। दौरान गिरफ्तारी व कार्यवाही माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के दिशा–निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी की सूचना थाने पहुँचकर द्वारा उचित माध्यम अभियुक्तगणों के परिजनों को दी जाएगी। फर्द की एक प्रति तीनों अभियुक्तों की सहमति से अभियुक्त कमलेश मिश्रा को दी गयी।

6– सूचनाकर्ता/वादी मुकदमा की उक्त आशय की फर्द के आधार पर ही क्रमशः मुकदमा अपराध संख्या–32/2021, 33/2021 तथा 34/2021 प्रदर्श क–4 अभियुक्तगण क्रमशः सुनीता देवी उर्फ बबीता, हसीना खातून उर्फ गोलू तथा कमलेश मिश्रा, के विरूद्ध अंतर्गत धारा–08/18 स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम,पंजीकृत किया गया।

दौरान विवेचना गवाहों के बयान आदि अंकित करने के पश्चात अभियुक्तगण के पास से बरामद नशीला पदार्थ विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट शामिल पत्रावली करते हुए अभियुक्तगण सुनीता देवी उर्फ बबीता, हसीना खातून उर्फ गोलू व कमलेश मिश्रा,के विरूद्ध पृथक–पृथक आरोपपत्र धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत किए गए।

7– तत्कालीन सक्षम अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) रमाबाईनगर, (कानपुर देहात) द्वारा, अभियुक्तगण सुनीता देवी उर्फ बबीता, हसीना खातून उर्फ गोलू व कमलेश मिश्रा, के विरूद्ध धारा–20(B)(ii)(C) एनडीपीएस एक्ट, के अन्तर्गत दिनांक 13.09.2021 को पृथक–पृथक आरोप विरचित किया।

अभियुक्तगण द्वारा आरोपों से इंकार किया तथा विचारण की याचना की गयी।

8– अभियोजन द्वारा निम्नलिखित साक्षी परीक्षित कराये गये, जिनका विवरण निम्न हैः–

साक्षी संख्या	नाम	साक्ष्य का प्रकार
पी.डब्लू.–1	उपनिरीक्षक देवेन्द्र सिंह	सूचनाकर्ता/वादी मुकदमा

पी.डब्लू.– 2	उपनिरीक्षक संजय कुमार शुक्ला	पुलिस साक्षी
पी.डब्लू.– 3	उपनिरीक्षक प्रियंका	महिला पुलिस साक्षी
पी.डब्लू.– 4	हे. कां. मनोज कुमार चौधरी	पुलिस साक्षी
पी.डब्लू.–5	निरीक्षक कृष्ण मोहन राय	पुलिस साक्षी

9– अभियोजन की ओर से प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं:–

क्र. सं.	प्रदर्श सं.	दस्तावेज प्रदर्श का विवरण	सिद्ध करने वाले साक्षी का नाम
1.	प्रदर्श क–1	03 अदद सहमति पत्र	उ.नि. देवेन्द्र सिंह सूचनाकर्ता (पी.डब्लू.–1)
2.	प्रदर्श क–2	फर्द	उ.नि. प्रियंका (पी.डब्लू.–3)
3.	प्रदर्श क–3	मूल फर्द	उ.नि. देवेन्द्र सिंह सूचनाकर्ता (पी.डब्लू.–1)
4.	प्रदर्श क–4	प्रथम सूचना रिपोर्ट सं.– 32/21, 33/21 व 34/21	हे. कां. मनोज कुमार चौधरी (पी.डब्लू.–4)
5.	प्रदर्श क–5	जीडी कायमी	हे. कां. मनोज कुमार चौधरी (पी.डब्लू.–4)
6.	प्रदर्श क–6	जीडी कायमी प्रति	हे. कां. मनोज कुमार चौधरी (पी.डब्लू.–4)
7.	प्रदर्श क–7	नक्शा नजरी मु.अ.सं.– 32/21	निरीक्षक कृष्णमोहन राय (पी.डब्लू.–5)
8.	प्रदर्श क–8	नक्शा नजरी मु.अ.सं.– 33/21	निरीक्षक कृष्णमोहन राय (पी.डब्लू.–5)
9.	प्रदर्श क–9	नक्शा नजरी मु.अ.सं.– 34/21	निरीक्षक कृष्णमोहन राय (पी.डब्लू.–5)
10.	प्रदर्श क–10	विधि विज्ञान प्रयोगशाला	निरीक्षक कृष्णमोहन राय

		रिपोर्ट मु.अ.सं.–32/21	(पी.डब्लू.–5)
11.	प्रदर्श क–11	विधि विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट मु.अ.सं.–33/21	निरीक्षक कृष्णमोहन राय (पी.डब्लू.–5)
12.	प्रदर्श क–12	विधि विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट मु.अ.सं.–34/21	निरीक्षक कृष्णमोहन राय (पी.डब्लू.–5)
13.	प्रदर्श क–13	आरोपपत्र मु.अ.सं.– 33/21	निरीक्षक कृष्णमोहन राय (पी.डब्लू.–5)
14.	प्रदर्श क–14	आरोपपत्र मु.अ.सं.– 32/21	निरीक्षक कृष्णमोहन राय (पी.डब्लू.–5)
15.	प्रदर्श क–15	आरोपपत्र मु.अ.सं.– 34/21	निरीक्षक कृष्णमोहन राय (पी.डब्लू.–5)

बरामद माल मु.अ.सं.–32/2021 तीन पैकेट चरस अभियुक्ता देवी सुनीता देवी उर्फ बबीता, मु.अ.सं.–33/21, तीन पैकेट चरस अभियुक्ता हसीना खातून उर्फ गोलू, एवं मु.अ.सं.–34/21 तीन पैकेट चरस अभियुक्त कमलेश मिश्रा,को क्रमशः वस्तु प्रदर्श–1 लगायत वस्तु प्रदर्श–3,के रूप में वादी मुकदमा पी.डब्लू.–1 उ.नि. देवेन्द्र सिंह द्वारा न्यायालय में प्रमाणित किया गया है।

10– अभियोजन द्वारा अपने कथानक को साबित करने हेतु कुल 05 साक्षियों को परीक्षित कराया गया है–

* पी.डब्लू.–1 के रूप में, प्रकरण के सूचनाकर्ता/वादी मुकदमा, उ.नि. देवेन्द्र सिंह, परीक्षित हुए है,

* पी.डब्लू.–2, पी.डब्लू.–3 व पी.डब्लू.–4, क्रमशः उपनिरीक्षक संजय कुमार शुक्ला, उपनिरीक्षक प्रियंका व हे.कां. मनोज कुमार चौधरी,परीक्षित हुए हैं, जिन्होनें अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में तैयार किए गए दस्तावेजों के संबंध में साक्ष्य दिया है तथा उन्हें प्रमाणित किया है।

* पी.डब्लू.–5 के रूप में निरीक्षक कृष्ण मोहन राय, प्रकरण के विवेचक परीक्षित हुए है।

नोटः– प्रकरण में एक लोक सेवक STF के हेड कां. एचसी धर्मपाल, जिसकी सूचना पर पुलिस द्वारा कार्यवाही प्रारम्भ की गयी,परंतु अभियोजन ने उसे परीक्षित नहीं कराया है।

घटनास्थल पर पुलिस को अभियुक्तगण की जानकारी देने वाले मुखबिर को भी पुलिस की आपसी जामातलाशी के समय उपस्थित होना कहा गया है, परंतु

उसे फर्द का ना तो गवाह बनाया गया है, ना ही न्यायालय में परीक्षित कराया गया है। दस्तावेजी साक्ष्य में विधि विज्ञान प्रयोगशाला की आख्या प्रस्तुत हैं, परंतु नमूना सील के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं है।

11– अभियोजन साक्ष्योपरान्त अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा–313 दं.प्र.सं. अंकित किया गया।

* अभियुक्तण सुनीता देवी उर्फ बबीता व हसीना खातून उर्फ गोलू, ने धारा 313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत कथन किया है कि "गलत आरोप है। पुलिसवालों ने झूठी गवाही दी है। हम लोग चार साल से जेल में निरूद्ध है तथा झूठे मुकदमें में फंसाया गया है। हम निर्दोष है।"

* सहअभियुक्त कमलेश मिश्रा ने धारा 313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत कथन किया है कि "आरोप गलत है। मेरे ऊपर झूठा मुकदमा लिखाया गया है। मैं अन्य सहअभियुक्तागण को जानता भी नहीं हूँ। मुझे पुलिस ने इस केस में जबरन फंसा दिया है। मेरे ऊपर पुलिस ने पहले भी एनडीपीएस का मुकदमा चलाया है और पुनः इस मुकदमें दुबारा चालान कर दिया है। मैं निर्दोष हूँ। मेरे द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है।

12– बचाव पक्ष की ओर से अभियुक्त कमलेश मिश्रा की ओर से साक्षी डी.डब्लू.–1 स्वतंत्र साक्षी पंकज द्विवेदी पुत्र श्री श्याम नरायान द्विवेदी, को परीक्षित कराया गया है जिन्होनें न्यायालय के समक्ष यह सशपथ बयान दिया है कि "मैं कमलेश मिश्रा को भलिभाँति जानता हूँ। घटना आज से तीन–सवा तीन साल पहले की है। चौबेपुर बाजार में मुझे जानकारी हुयी कि कमलेश मिश्रा को पुलिस उसके घर से पकड़कर ले गयी और चरस के झूठे मुकदमें में फंसा दिया है। कमलेश मिश्रा चौबेपुर स्थित काला ईंट भट्ठे में मुनीयत का कार्य करते थे। ईंट भट्ठे के मालिक से कमलेश मिश्रा का अक्सर वाद विवाद होता था। भट्ठे के लेबरों के लेन–देन को लेकर वाद विवाद होता था। इसी लेन–देन के चक्कर में ईंट भट्टे के मालिक ने इसको फंसा दिया था।”

* डी.डब्लू.–2 प्रेम नरायन पुत्र स्व. मथुरा प्रसाद, उम्र लगभग 70 वर्ष, यह भी स्वतंत्र साक्षी है और इन्होनें भी न्यायालय में सशपथ बयान दिया है कि " मैं और आरोपी कमलेश मिश्रा एक ही मोहल्ले के रहने वाले है।कमलेश का घर मेरे घर से 40–50 कदम की दूरी पर है। घटना वाले दिन मैं चाय पीने के लिए चौराहे पर गया था तो देखा कि चौबेपुर की पुलिस कमलेश मिश्रा को उनके घर से जबरदस्ती पकड़ कर पुलिस की गाड़ी में बैठाया और ले गए। उस समय लगभग 11.00 बजे दिन का था। दो–तीन दिन बाद मालूम हुआ कि पुलिस ने कमलेश मिश्रा को चरस के झूठे मुकदमें में फंसा दिया है और बंद कर दिया है। कमलेश मिश्रा को उनके मालिक जय कालरा, जिनके ईंटभट्ठे पर कमलेश मुनीयत करता था, फंसाया है।”

* इस प्रकार बचाप पक्ष ने न्यायालय के समक्ष यह बताने का प्रयास किया

है कि पुलिस ने झूठे स्वयं की पास से माल की बरामदगी दिखाते हुए अभियुक्तगण को झूठा फंसाया है। अगर अभियुक्तगण के पास से कोई माल बरामद किया गया होता तो नियमानुसार तत्काल प्रभाव से बरामद माल की इन्वेंटरी तैयार कर वीडियोग्राफी आदि की कार्यवाही की गयी होती, परंतु ऐसा कुछ नहीं किया गया, क्योंकि अभियुक्तगण निर्दोष हैं।

13– उल्लेखनीय है कि अभियुक्तगण समस्त पर पृथक–पृथक आरोप इस आशय का विरचित है कि अभियुक्ता श्रीमती सुनीता देवी उर्फ बबीता को दिनांक 17.02.2021 को समय 14.30 बजे, स्थान बैलाही बाजार पेड़ के नीचे, कस्बा चौबेपुर, थाना–चौबेपुर, कानपुर नगर, में उन्हें पुलिस पार्टी द्वारा आवश्यक बल के साथ दबिश देकर पकड़ा गया और जामातलाशी लेने पर अभियुक्ता के पास से दाहिने हाथ में पकड़े पेपर बैग जिस पर दोनों ओर अंग्रेजी में विशाल गारमेन्टस मेन मार्केट रक्सौल लिखा हुआ था, से तीन पैकेट चरस के बरामद किए, जो अवैधानिक रूप से उनकी अभिरक्षा में थे और वजन करने पर 1.590 किलोग्राम नाजायज चरस पाया गया।

* पृथक रूप से सहअभियुक्ता हसीना खातून उर्फ गोलू के विरूद्ध भी इस आशय का आरोप विरचित किया गया, उक्त तिथि, समय व स्थान पर उनकी जामातलाशी के दौरान भी उनके पास दाहिने हाथ में पेपर बैग जिस पर दोनों ओर हिन्दी में एक ओर जय नेपाल साड़ी शोरूम एवं एक ओर हिन्दी में उत्सव वेडशीट, उलेन, सलवार–सूट, पर्दा, ड्रेस मैटेरियल 1st फ्लोर जय नेपाल के ऊपर लोहा पट्टी रोड रक्सौल लिखा हुआ था, जिसमें से तीन बण्डल चरस के बरामद किए, जो अवैधानिक रूप से उनकी अभिरक्षा में थे और वजन करने पर 1.566 किलोग्राम नाजायज चरस पाया गया।

* प्रकरण के तीसरे सहअभियुक्त कमलेश मिश्रा के पास से भी अवैधानिक रूप से उक्त तिथि, समय व स्थान पर उनकी अभिरक्षा से दाहिने हाथ में पकड़े एक पीली प्लास्टिक से चरस बरामद हुयी, जिसका वजन 1.572 किलोग्राम नाजायज चरस पाया गया।

* इस प्रकार उपरोक्त समस्त अभियुक्तगण की अभिरक्षा से वाणिज्यिक मात्रा का नशीला पदार्थ चरस बरामद को दृष्टिगत रखते हुए धारा 20(B)(ii)(C) एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत दण्डनीय कृत्य, प्रथम दृष्टया पाया गया है।

14– उक्त समस्त आरोप को साबित करने हेतु अभियोजन द्वारा सर्वप्रथम **पी.डब्लू.1 के रूप में परीक्षित सूचनाकर्ता तत्कालीन उ.नि. थाना चौबेपुर, कानपुर नगर, देवेन्द्र सिंह** ने न्यायालय के समक्ष यह सशपथ बयान दिया है कि "दिनांक 17.02.2021 को वह, मय उ.नि. संजय कुमार शुक्ला, महिला कां. कमला व STF के हेड कां. धर्मपाल सिंह ने द्वारा टेलीफोन बताया कि वह अपनी टीम के साथ कस्बा चौबेपुर में मौजूद है। मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुयी कि बिहार से दो महिलाएं

अवैध चरस बिक्री हेतु आयी है। इस सूचना पर वादी ने रवाना सरकारी जीप पर नियुक्त दिवान सिंह को तलब कर हमराह लेकर, कस्बा चौबेपुर पहुंचा। मुखबिर की सूचना पर अवैध चरस की बिक्री हेतु आयी महिलाओं की तलाश की तो बैलाही बाजार के पास पहुंचे तो मुखबिर ने पेड़ के पास बैठी दो महिलाओं की तरफ इशारा किया और मौके से चला गया। हम पुलिसवालों ने पेड़ की तरफ जहाँ महिलाएं मौजूद थी, पहुँचे तो पुलिसवालों को देखकर महिलाओं ने इधर उधर भागने का प्रयास किया। पुलिसवालों ने शक होने पर महिला उ.नि. के द्वारा महिलाओं को एवं एक व्यक्ति को हम पुलिस वालों ने रोका गया और भागने का कारण पूछा तो दोनों महिलाओं व व्यक्ति ने बताया कि हमारे पास चरस थी, इसी कारण भागने की कोशिश कर रहे थे। पकड़े जाने पर एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के अनुसार मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस राजपत्रित अधिकारी के समक्ष जामातलाशी के लिए कहा गया तो अभियुक्तगण ने कहा कि आपने हमें पकड़ ही लिया है, आप ही हमारी जामातलाशी ले सकते है। दोनों महिलाओं तथा एक पुरूष की सहमति के उपरांत सहमतिपत्र अलग–अलग तैयार कर, महिलाओं का महिला उ.नि. के द्वारा पुरूष का मेरे द्वारा तैयार किया गया, जिस पर मेरे तथा मुल्जिमानों में दोनों महिलाओं के निशान अंगूठा तथा पुरूष के दस्तखत कराए गए।

इन्होनें जामातलाशी हेतु अभियुक्तगण क्रमशः सुनीता देवी उर्फ बबीता, हसीना खातून उर्फ गोलू व कमलेश मिश्रा, के सहमति से तैयार किए गए सहमतिपत्र प्रदर्श क–1 प्रमाणित करते हुए यह कथन किया है कि जब जाँच के दौरान उन्होनें पहली महिला से नाम, पता पूछा तो उसने अपना सुनीता देवी उर्फ बवीता पत्नी स्व. राज कुमार महतो, नि.–खुरईयाँ वार्ड नम्बर–18, थाना घोरासान, जनपद मोतिहारी, बिहार, उम्र 35 वर्ष बताया जिसकी जामातलाशी में दाहिने हाथ में पकड़े पेपर बैग जिस पर दोनों ओर अंग्रेजी में विशाल गारमेन्ट्स मेन मार्केट रक्सौल लिखा था, में रखा हुआ चरस नाजायज 03 पैकेट, पीले रंग का टेप लिपटा हुआ बरामद हुआ, बरामद चरस का मौके पर इलेक्ट्रानिक तराजू से तौल की गयी तो कुल वजन 1 किला 590 ग्राम था, जिसमें से नमूना हेतु परीक्षण के लिए लगभग 100 ग्राम चरस निकालकर एक सफेद कपड़े में रखकर अलग सील सर्व मोहर कर एवं शेष चरस उसी थैले में सील सर्व मोहर किया गया।

दूसरी महिला ने अपना नाम हसीना खातून उर्फ गोलू पत्नी निजामुद्दीन नि.–भेलाई बाजार (झोपड़पट्टी) थाना भेलाई, जनपद मोतिहारी बिहार बताया, उम्र 25 वर्ष बतायी। तलाशी म.उ.नि. द्वारा ली गयी तो दाहिने हाथ मे पेपर बैग जिस पर दोनों ओर हिन्दी मे एक ओर जय नेपाल साड़ी शोरूम एवं एक ओर हिन्दी मे उत्सव बेडसीट, उलेन, सलवार सूट, पर्दा, ड्रेस मैटेरियल 1st Floor जय नेपाल के ऊपर लोहा पट्टी, रोड रक्सौल लिखा था, जिसके पास से 03 बन्डलों में जिनपर पीले रंग का टेप लिपटा है, बरामद हुआ जिसको पुलिसवालों ने सूंघा तो चरस की बू आ रही थी, वजन करने पर कुल वजन 1 किलो 566 ग्राम पाया गया,

जिसमें से 100 ग्राम चरस नमूना परीक्षण के लिए निकालकर सफेद कपड़े में रखकर नमूना मोहर बनाया गया। शेष चरस को उसी थैले में सफेद कपड़े में सील सर्व मोहर किया गया।

तीसरे मुल्जिम ने अपना नाम कमलेश मिश्रा पुत्र स्व. इन्द्रनारायण मिश्रा नि.– पिपरी रोड चौबेपुर, थाना चौबेपुर कानपुर नगर उम्र करीब 50 वर्ष बताया, की जामातलाशी मेरे द्वारा ली गयी तो दाहिने हाथ में पकड़े एक पीली प्लास्टिक के थैली में नाजायज चरस पायी गयी, जिसका वजन इलेक्ट्रानिक तराजू से किया गया तो कुल 1 किलो 572 ग्राम निकला, जिसे पुलिसवालों ने सूंघा तो उसमें चरस की गंध आ रही है। बरामद चरस से 100 ग्राम चरस निकालकर अलग नमूना के लिए सर्व मोहर किया गया तथा अलग नमूना मोहर बनाया गया। शेष चरस को उसी पन्नी में रखकर सफेद कपड़े से सर्व सील मोहर किया।

पकड़े गए दोनों महिलाओं व एक पुरूष को उनके अपराध से अवगत कराया गया। गिरफ्तारी मेमो तैयार किया गया। तीनों अभियुक्तगण के पास से बरामद माल पृथक–पृथक रूप से मु.अ.सं.–32/21, 33/21, 34/21, में वास्ते साक्ष्य प्रस्तुत किया गया, जिसे क्रमशः वस्तु प्रदर्श–1 लगायत वस्तु प्रदर्श–3 प्रमाणित किया गया।

* दौरान प्रतिपरीक्षा इस साक्षी ने यह स्पष्ट किया कि अभियुक्तगण की गिरफ्तारी नियमानुसार सूचना देकर की गयी थी। प्रकरण का कोई स्वतंत्र गवाह वे नहीं बना सके, क्योंकि जनता का कोई गवाह भलाई बुराई के डर से गवाही देने को तैयार नहीं हुआ। एसटीएफ टीम, पुलिस की सूचना पर घटनास्थल पर पहुँची थी। स्वयं एसटीएफ टीम ने उन्हें फोर्स लेकर आने को कहा था।

* इसी प्रकार प्रत्येक अभियुक्तगण के पास से बरामद नशीले पदार्थ का पृथक–पृथक नमूना 100–100gm. लेने का कथन किया गया है। सभी पृथक नमूनों का एक मिश्रित नमूना तैयार किया गया, इस संबंध में ना तो उनसे कोई प्रश्न पूछा गया है, ना ही उन्होनें कोई उत्तर दिया है।

प्रकरण के सहअभियुक्त कमलेश मिश्रा की ओर से प्रकरण में पृथक जिरह की गयी है तथा इस जिरह में इस साक्षी ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस मुकदमें के पूर्व में भी अभियुक्त कमलेश मिश्रा के विरूद्ध एनडीपीएस एक्ट का मुकदमा चला है। यह भी सशपथ कथन किया है कि अभियुक्तों को राजपत्रित अधिकारी के समक्ष नहीं ले जाया गया, क्योंकि अभियुक्तों ने मना कर दिया था। बरामद माल सूंघने से ही पता चल गया था कि चरस है।

15– पी.डब्लू.–2 उपनिरीक्षक संजय कुमार शुक्ला, प्रकरण में वादी मुकदमा के घटना के समय उपस्थित हमराही ने भी न्यायालय में यह सशपथ बयान दिया है कि "मैं घटना के समय थाना चौबेपुर में उपनिरीक्षक के पद पर तैनात था। दिनांक 17.02.2021 को मेरे साथ उपनिरीक्षक देवेन्द्र सिंह व उपनिरीक्षक अण्डर ट्रेनिंग

बबीता मिश्रा व उपनिरीक्षक अण्डर ट्रेनिंग प्रियंका यादव व महिला कां. कमला व STF कानपुर नगर में नियुक्त हेड कां. धर्मपाल द्वारा दूरभाष से प्राप्त सूचना दी कि कुछ महिलायें बिहार से नाजायज चरस कस्बा चौबेपुर में बिक्री हेतु आयी हुयी है। कस्बा चौबेपुर में बेचने के लिये प्रयासरत है। STF द्वारा प्राप्त सूचना पर उपनिरीक्षक देवेन्द्र सिंह द्वारा कस्बा चौबेपुर में थाना क्षेत्र में डयूटीरत रखानाशुदा उपनिरीक्षक दीवान सिंह कां. शिवओम मय असलाहों से मय शस्त्र कारतूस मय सरकारी वाहन से पहले से मौजूद थे। हम सभी पुलिस वाले कस्बा में घूम फिरकर मुखबिर के द्वारा बिहार से आयी हुयी महिलाओं सुरागरसी तो मुखबिर खास को सूचना मिली कि दो महिलायें जो बिहार से आयी हुयी है। वह नाजायज चरस बेचने की फिराक में बैलाही बाजार में बरगद के पेड़ के नीचे कस्बा चौबेपुर में मौजूद है और नाजायज चरस बेचने के लिये ग्राहकों का इंतजार कर रही है। इसी दौरान हम पुलिस वालों ने STF टीम को भी साथ ले लिया। STF टीम से आये एच.सी. राजकुमार एच.सी. धर्मपाल एच.सी. मोहर सिंह कां. धीरेन्द्र सिंह भी हम पुलिस वालों के सामने तत्पश्चात हम पुलिस वालों की टीम द्वारा आपस में एक दूसरे की जामा तलाशी ली तथा ले देकर इत्मीनान किया कि किसी के पास जुर्म से संबंधित कोई नाजायज वस्तु नहीं है। तत्पश्चात मुखबिर को साथ लेकर लुकते छिपते बैलाही बाजार बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। दूर से ही मुखबिर ने बरगद के पेड़ के नीचे मौजूद दो महिलाओं की ओर इशारा किया। इसी दौरान वहां पर एक पुरूष व्यक्ति भी आ गया। इसके बाद मुखबिर वापस चला गया। हम पुलिस वाले आगे तो हम पुलिस वालों को देखकर दोनों महिलायें भागने का प्रयास करने लगे कि हम पुलिस वालों ने एक बार में ही घेरकर महिला कर्मचारी द्वारा दोनों महिलाओं को मौके पर ही पकड़ लिया गया। तीनों से भागने का कारण पूछा गया तो तीनों ने हिचकते हुये बताया कि हम लोगों के पास नाजायज चरस है। इसी लिये पुलिस को देखकर भागने का प्रयास कर रहे थे। तत्पश्चात महिला उपनिरीक्षक प्रियंका यादव द्वारा दोनों महिलाओं से व पुरूष से उपनिरीक्षक देवेन्द्र सिंह द्वारा अवगत कराया गया कि आप लोगों के पास अवैध नाजायज चरस है। आप लोगों की जामा तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट द्वारा नियमानुसार ली जानी है तो इस पर तीनों ने बताया कि साहब जब आप लोगों ने पकड़ ही लिया है तो हम अपने विरूद्ध कोई गवाह नहीं रखना चाहते हैं। आप ही लोग हमारी जामा तलाशी ले लीजिये। इस पर तलाशी प्रपत्र मौके पर तैयार कर पढ़कर सुनाकर तीनों से अंगूठा व हस्ताक्षर कराये गये। इसके उपरान्त महिला उपनिरीक्षक प्रियंका यादव द्वारा दोनों महिलाओं से जामा तलाशी ली गयी तो एक ने अपना नाम सुनीता देवी उर्फ बबीता पत्नी राजकुमार महतो निवासी ग्राम खुरईया थाना घोराशन जनपद मोतीहारी बिहार बताया व दूसरे ने अपना नाम हसीना खातून पत्नी निजामुददीन निवासी ग्राम भैलाई बाजार थाना भैलाई जनपद मोतीहारी बिहार बताया। सुनीता देवी की जामा तलाशी ली तो उसके कब्जे से एक पेपर बैग के अन्दर से तीन पैकेट पीला टेप चिपा हुआ नाजायज चरस मात्रा एक किलो पाँच सौ नब्बे किलोग्राम व दूसरी

महिला हसीना खातून से एक किलो पाँच सौ छियासठ ग्राम चरस बरामद हुआ तथा तीसरे व्यक्ति कमलेश मिश्रा पुत्र इन्द्र नारायण मिश्रा निवासी पिपरी बाजार रोड चौबेपुर के पास से एक किलो पाँच सौ बहत्तर ग्राम चरस बरामद हुआ। तीनों का वजन मौके पर इलेक्ट्रानिक तराजू द्वारा किया गया था तथा तीनों व्यक्तियों से बरामद नाजायज चरस में से सौ–सौ ग्राम नमूना अलग किया गया था तथा बरादमगी के वक्त मौके पर बरामद नाजायज चरस को सूंघाकर पता लगाया गया था कि बरामद माल चरस ही है। इसके पश्चात बरामद समस्त माल व नमूना को अभियुक्त वार अलग–अलग सर्वसील मोहर कर नमूना मोहर तैयार कया गया था। गिरफ्तारी मैमो मौके पर तैयार किया गया था।"

दौरान प्रतिपरीक्षा कथन किया है कि "आपस में हम लोगों ने एक दूसरे की तलाशी ली थी। मेरी तलाशी उपनिरीक्षक देवेन्द्र सिंह ने ली थी। अभियुक्त ने मेरी तलाशी नहीं ली थी और न ही हमने उसे तलाशी लेने के लिये कहा था। मुखबिर अपराधियों को पकड़ने में हमारी मदद करते हैं। जनता का कोई गवाह गवाही के लिये तैयार नहीं हुआ था। गिरफ्तारी स्थल के पास आम लोगों का आना जाना लगा रहता था। हमनें सात–आठ आदमियों से गवाही के लिये कहा था लेकिन गवाही देने के लिये कोई तैयार नहीं हुआ था। किसी ने अपना नाम पता पूछने पर नहीं बताया था। हमने उन लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जिन्होंने गवाह बनने से मना कर दिया। मुखबिर की तलाशी ली गयी थी। मौके पर सहमति पत्र उ.नि. देवेन्द्र सिंह ने लिखा था।"

* दौरान प्रतिपरीक्षा इस साक्षी का यह भी कथन है कि चरस की गंध को विशिष्ट की तौर पर बताना मुश्किल है। गिरफ्तारी प्रपत्र मौके पर बनाया गया था। मुझे नहीं मालूम है कि गिरफ्तारी मैमो पर सुनीता और हसीना खातून के परिजनों को सूचना देने वाली बात लिखी है या नहीं। हसीना एवं सुनीता को फर्द की नकल नहीं दी गयी बल्कि तीनों की सहमति से अभियुक्त कमलेश को दी गयी थी।

16– पी.डब्लू.–3 महिला उपनिरीक्षक प्रियंका, जो घटनास्थल पर महिला अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के समय उपस्थित थी, वादी मुकदमा की हमराही है, इस प्रकरण में महत्वपूर्ण साक्षी है तथा इन्होनें भी न्यायालय के समक्ष यद्यपि यह सशपथ बयान दिया है कि "मैं थाना चौबेपुर में दिनांक 08.02.2021 को अण्डर ट्रेनिंग थी।दिनांक 17.02.2021 को मय व उ.नि. बबीता मिश्रा, म.कां. नयना, व उ.नि. संजय शुक्ला, हमलोग उ.नि. देवेन्द्र सिंह के साथ उनको प्राप्त सूचना STF हे.कां. धरमपाल, कानपुर नगर के द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार कुछ महिलाएं बिहार से नाजायज चरस लेकर कस्बा चौबेपुर में आयी हैं, जो कस्बा चौबेपुर में चरस बेचने में प्रयासरत है। एसटीएफ द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर उ.नि. देवेन्द्र सिंह द्वारा कस्बा चौबेपुर व थाना क्षेत्र में डयूटी में रवानाशुदा उ.नि. दीवान सिंह, मय असलहा कारतूस व कां. शिवओम मय असलहा कारतूस, व हो.गा.राजूलाल व सरकारी जीप को तलब करके हमलोग हमराह में देवेन्द्र सिंह के साथ कस्बा

चौबेपुर पहुँचे। वहां पर एसटीएफ के हे.कां. धरमपाल, रामकुमार, मोहर सिंह व कां. धीरेन्द्र कुमार, सरकारी वाहन मिले।फिर वहां पर एसआई देवेन्द्र सिंह द्वारा एसटीएफ को हमराह में लिया गया। फिर हम सभी पुलिसवालें कस्बे में घूम फिरकर अपने श्रोतों से बिहार से आयीं हुयी महिलाओं की पतारसी व सुराकसी में लग गए। तभी मुखबिर सूचना मिली कि दो महिलाएं इस समय बैलाही बाजार चौबेपुर में नाजायज चरस लेकर आयीं है। जो ग्राहकों को बेचने का इंतजार कर रही है। फिर हम लोग मुखबिर की सूचना पर बैलाही बाजार पहुँचे तो हम तीनों महिलाओं ने आपस में जामातलाशी और पुरूष पुलिसवालों ने आपस में जामातलाशी ली थी। मुखबिर ने वहां पर बताया कि बरगद के नीचे जो दो महिलाएं व एक पुरूष खड़ा है, यही हैं। जब हम लोग लुकते छिपते उन लोगों के पास पहुँचे तो हम पुलिसवालों को देखकर इन लोगों ने भागने का प्रयास किया। एक दूसरे की जामातलाशी में हम लोगों के पास कोई नाजायज वस्तु नहीं थी। जब अभियुक्तगण ने भागने का प्रयास किया तो महिलाओं को हम तीनों पुलिस महिलाओं ने पकड़ा व पुरूष को पुरूष पुलिस ने पकड़ा। महिला अभियुक्त से मैंने भागने का कारण पूछा तो इधर उधर की बाते करने लगी फिर बताया कि मेरे पास चरस है। महिलाओं से कहा कि आप लोग अपनी जामातलाशी किसी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी के सामने दे सकती है, तो उन्होनें कहा कि आप ही हमारी जामातलाशी ले लीजिए। सहमतिपत्र एसआई देवेन्द्र सिंह के द्वारा लिखा गया। तीनों लोगों के अलग–अलग सहमतिपत्र लिखाया गया था और तीनों लोगों के हस्ताक्षर बनवाए गए थे। महिलओं से नाम पूछा गया तो एक ने अपना नाम सुनीता उर्फ बबीता, उसके दाहिने हाथ में पैपर बैग में पीले टेप में लिपटे हुए तीन बण्डल में चरस है। उसने खुद बताया। दूसरे महिला ने अपना नाम हसीना खातून उर्फ गोलू बताया, उसके दाहिने हाथ में एक पैपर बैग था, उसने बताया कि इसमें पीले टेप से लिपटे हुए तीन बण्डल है, जिसमें चरस है। इन दोनों महिलाओं की जामातलाशी मैंने स्वयं ली थी। जो पुरूष पकड़ा गया था, उसने अपना नाम कमलेश मिश्रा बताया, जिसकी जामातलाशी दरोगा जी द्वारा ली गयी थी, उसके पास से तीन बण्डल चरस निकली, प्लास्टिक की पीली थैली में लिये था। विवेचना किट उ.नि. देवेन्द्र सिंह के पास थी। उसी से चरस तौला गया, सुनीता से बरामद चरस 1.590kg., हसीना खातून से 1.566kg. और कमलेश से 1.572kg. चरस बरामद हुयी। तीनों अभियुक्तगण से बरामद नाजायज माल से तथा एक–एक अभियुक्त से तीनों बण्डल से मिलाकर 100–100gm नमूना निकालकर सर्व सील मोहर किया गया और शेष माल को भी सर्व सील मोहर किया गया। जनता के गवाह गवाही के लिए तैयार नहीं हुए। घटना की सूचना देवेन्द्र सिंह द्वारा उच्चाधिकारियों को दी गयी थी। फर्द उ.नि. देवेन्द्र सिंह द्वारा बोली गयी थी और मेरे द्वारा लिखी गयी थी, जो उन्होनें बोला था वहीं मैंने लिखा था। फर्द पढ़कर सभी को सुनाया गया था, सभी पुलिसवालों व मुल्जिमान ने हस्ताक्षर बनाए थे। फर्द की एक कॉपी दोनों महिलाओं की सहमति से अभियुक्त कमलेश मिश्रा को दी गयी थी।" साक्षी पी.डब्लू.–3 ने फर्द प्रदर्श क–3 पर अपने हसताक्षर प्रमाणित करते हुए

यह कथन किया है कि वादी मुकदमा देवेन्द्र सिंह के द्वारा माल को मालखाना इंचार्ज के सुपुर्द किया गया।

* दौरान प्रतिपरीक्षा यह कथन किया है कि अभियुक्ता हसीना के पास से तीन बंडल पृथक–पृथक नशीला पदार्थ बरामद हुआ था, परंतु तीनों बंडलों का पदार्थ मिलाकर नमूना तैयार नहीं किया गया था तथा अभियुक्ता सुनीता से जो तीन बंडल नशीला पदार्थ मिला था, उसको भी तीनों को मिलाकर एक बंडल मिलाया गया या नहीं, उन्हें याद नहीं है। तीनों अभियुक्तगण के तीनों बंडल से सौ–सौ ग्राम नमूना निकाला गया था, यह भी कथन किया है परंतु बरामद माल की इन्वेंटरी तैयार की गयी हो या धारा 52–A NDPS Act के अनुपालन में किया गया हो, जबकि यह प्रकरण वर्ष 2021 का है, की फोटोग्राफ्स आदि क्यों नहीं तैयार की गयी, इस संबंध में कोई कथन नहीं किया है।

17– पी.डब्लू.–4 हे. कां. मनोज कुमार चौधरी, इन्होनें कम्प्यूटराइज्ड एफआईआर कागज सं.–4 क/1 लगायत 4 क/4 तीनों अपराध संख्या के प्रदर्श क–4, प्रदर्श क–5, व प्रदर्श क–6 प्रमाणित किया है तथा दौरान प्रतिपरीक्षा इस साक्षी ने अभियुक्त कमलेश की ओर से जिरह किए जाने पर यह बयान दिया है कि अभियुक्त कमलेश की तलाशी मैंने ली थी, लेकिन उसके पास क्या निकला था, मुझे याद नहीं है। यह भी सशपथ कथन किया है कि महिलाओं के पास से बरामद नाजायज नशीले पदार्थ का मिश्रित नमूना लिया गया था या नहीं, सील बंद माल में मार्का की मोहर लगी थी या नहीं, यह भी उन्हें याद नहीं है।

इस प्रकार इस साक्षी ने दौरान प्रतिपरीक्षा पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर अत्यंत लापरवाही से दिया है, जिससे अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप, संदेह से परे साबित नहीं होता है।

18– पी.डब्लू.–5 कृष्ण मोहन राय, जो प्रकरण के विवेचक है, इन्होनें न्यायालय में अभियोजन कथानक का सारतः समर्थन करते हुए यह पुष्ट किया है कि एसटीएफ कानपुर यूनिट के हे. कां. धरमपाल की टेलीफोनिक सूचना पर प्रकरण के वादी मुकदमा अभियुक्तगण की तलाश में रवाना हुए और फर्द में उल्लिखित तथ्यों के अनुसार कार्यवाही की, यह बात धारा 161 दं.प्र.सं. के बयान में वादी मुकदमा ने बतायी थी। इन्होनें पूर्व विवेचक दीपक शर्मा द्वारा किता किया गया पर्चा सं.–1 का अवलोकन किया था और दिनांक 20.07.24 को प्रकरण की विवेचना ग्रहण की थी। इन्होनें केस डायरी के पर्चा सं.–2 लगायत 5 प्रमाणित करते हुए घटनास्थल का नक्शानजरी पृथक–पृथक तीनों मुकदमों का प्रदर्श क–7 लगायत प्रदर्श क–9 प्रमाणित किया है। पर्चा सं.–5 में बरामद माल जमा करने की रसीद का विवरण दिनांक 07.03.2021 को पर्चा सं.–6 में किता किए जाने का कथन किया है। पर्चा सं.–7, 8, 9 रिमांड आदि से संबंधित प्रपत्र किता किए जाने का भी कथन किया है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट क्रमशः प्रदर्श क–10 लगायत प्रदर्श क–12 की आख केसडायरी में दर्ज करने के पश्चात अभियुक्तगण के विरूद्ध पृथक–पृथक आरोपपत्र क्रमशः प्रदर्श क–13 लगायत प्रदर्श क–15 प्रमाणित किया है।

* दौरान प्रतिपरीक्षा यद्यपि यह कथन किया है कि एसटीएफ की सूचना चरस की मुखबिरी के बाबत एसआई देवेन्द्र सिंह को दी गयी थी, परंतु चौबेपुर की केसडायरी में इसका उल्लेख नहीं किया गया है और ना ही इसका कोई स्पष्टीकरण बताया गया है।

19– उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत आरोप में अभियुक्तगण की दोषसिद्धित हेतु अभियुक्तगण से जब्तशुदा माल के संबंध में एनडीपीएस एक्ट की धारा 52–A के अंतर्गत नियमानुसार पालन किया गया है, या नहीं, इसे कठोरता से देखा जाना आवश्यक है क्योंकि एनडीपीएस एक्ट के आरोपी/अभियुक्तगण का काफी लम्बे समय से यह तर्क व बचाव जरिए अधिवक्ता लिया जाता रहा है कि पुलिस ने अपनी शक्तियों का दुरूपयोग कर उनके पास से झूठे नशीले पदार्थ की बरामदगी दिखायी है।

20– भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) द्वारा दिनांक 13–6–1989 को जारी स्टैंडिंग आर्डर 1/89 के खंड 2.1 [जो कि दिनांक 15–3–1988 को जारी स्टैंडिंग आर्डर 1/88 के सम–विषय (pari materia) है) के अनुसार जिस स्थान पर विनिषिद्ध पदार्थ बरामद हुआ हो, उसी स्थान पर यानी घटना स्थल पर ही सैम्पल बनाना आवश्यक है, जबकि NDPS Act की धारा 52–A के अनुसार सैम्पल बनाने की कार्यवाही मजिस्ट्रेट के समक्ष की जाएगी।

इस प्रकार स्टैंडिंग आर्डर 1/89 और धारा 52–A में परस्पर टकराव दिखाई पड़ता है। इस टकरावपूर्ण परिस्थित्ति पर उच्चतम न्यायालय ने Union of India Vs. Mohanlal & another [(2016) 3 SCC 379] के मामले में विचार कर अभिनिर्धारित किया–

"..... Suffice it to say that there is no provision in the Act that mandates taking of samples at the time of seizure.....

* उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार से ऊपर वर्णित टकराव को समाप्त करने हेतु समुचित कदम उठाने को कहा किन्तु ऐसे उपायों के क्रियान्वित होने के ठीक पूर्व तक की अवधि के लिए सैम्पल लेने के तरीके को तुरंत प्रभाव यानी निर्णय दिनांक 28–01–2016 से लागू कर दिया जो कि निम्नांकित अनुसार है–

(i) कि विनिषिद्ध पदार्थ की जब्ती के स्थान अर्थात् घटना स्थल पर कोई सैम्पलिंग नहीं होगी बल्कि मजिस्ट्रेट की साक्षात् उपस्थिति में सैम्पल्स बनाए जाएंगे।

(ii) कि विनिषिद्ध पदार्थ की जब्ती के तुरंत बाद जब्ती करने वाले अधिकारी द्वारा जब्त माल को निकटस्थ पुलिस थाना के भारसाधक अधिकारी या NDPS Act की धारा 53 के अधीन सशक्त अधिकारी को अग्रेषित कर दिया जाएगा। तब ऐसे अधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 52–A(2) में वर्णित प्रयोजनों के लिए और प्रमाणीकरण करने हेतु बिना अनुचित विलंब के आवेदन दिया जाएगा। ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर मजिस्ट्रेट द्वारा बिना टाल–मटोल या

असम्यक् विलंब के धारा 52-A(3) के अधीन आवेदन मंजूर कर अपनी साक्षात् उपस्थिति में सैम्पल लेने की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा।

21- इस प्रकार सुस्पष्ट है कि (NDPS Act की धारा 76 सपठित 52-A द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) के द्वारा जारी अधिसूचना G.S.R. 899 (E) के द्वारा नारकोटिक ड्रग्स एण्ड साइकोट्रोपिक सन्सटेंस (जन्ती, भंडारण, नमूनाकरण और निपटान) नियम, 2022 बनाया गया है जो कि भारत के राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 23 दिसंबर 2022 को प्रकाशित हुआ है और इसी दिनांक से प्रभावशील हो गया है।

* नियम 2022 के नियम 2(1) (d) में "मजिस्ट्रेट" का अर्थ 'न्यायिक मजिस्ट्रेट' है।" कहना अनुचित न होगा कि यदि विनिषिद्ध पदार्थ के बरामद होने के स्थान पर ही (जहाँ न्यायिक मजिस्ट्रेट उपस्थित नहीं रहता है) विवेचक द्वारा सैम्पल लेने की कार्यवाही की जाती है तो निश्चय ही. वह नियम 2022 का उल्लंघन है, जिसका परिणाम अभियोजन के लिए घातक है।

* Validity/necessity of taking sample at the time of seizure :- The process of drawing samples has to be in the presence and under the supervision of the Magistrate. The question of drawing sample at the time of seizure which, more often not, takes place in the absence of the Magistrate does not in the above scheme of things arise. There is no provision in the NDPS Act that mandates taking of sample at the time of seizure.

(Union of India vs Mohanlal and Another, (2016) 3 SCC 379, d. On 28.01.2016, the Hon'ble Supreme Court has given following direction in para 20 of the judgement:- "No sooner the seizure of any Narcotic Drugs or Psychotropic/Controlled Substances and Conveyances is effected, the same shall be forwarded to the officer-in-charge of the nearest police station or to the officer empowered under Section 53 of the Act. The officer concerned shall then approach the Magistrate with an application under Section 52A(2) of the Act which shall be allowed by the Magistrate as soon as may be required under sub-section(3) of section 52A of the NDPS Act."

22- धारा 52-A(2) NDPS Act में भी स्पष्ट प्रावधान है कि,

" जहाँ कोई 'स्वापक औषधियों या मनःप्रभावी पदार्थों या नियंत्रित पदार्थों या प्रवहणों] को अभिगृहीत कर लिया गया है और निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी या धारा 53 के अधीन सशक्त किसी अधिकारी को भेज दिया गया है, वहाँ उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी ऐसी 'स्वापक औषधियों या

मनःप्रभावी पदार्थों या नियंत्रित पदार्थों या प्रवहणों] की एक तालिका तैयार करेगा जिसमें उनके वर्णन, क्वालिटी, परिमाण, पैक करने के ढंग, चिह्नांकन, संख्यांक या ऐसी 1 [स्वापक औषधियों या मनःप्रभावी पदार्थों या नियंत्रित पदार्थों या प्रवहणों] या पैकिंग की, जिनमें वे पैक किए गए हैं, पहचान कराने वाली अन्य विशिष्टियाँ, उद्भव का देश और अन्य विशिष्टियों से संबंधित ऐसे अन्य ब्यौरे दिए गए हों, जिन्हें उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी, इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों में ऐसी [स्वापक औषधियों या मनःप्रभावी पदार्थों या नियंत्रित पदार्थों या प्रवहणों को पहचान के लिए सुसंगत समझे और किसी मजिस्ट्रेट को निम्नलिखित प्रयोजन के लिए आवेदन करेगा, अर्थात् :–

(क) ऐसे तैयार की गई तालिका का सही होना प्रमाणित करने के लिए; या

(ख) ऐसे मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में ऐसी औषधियों, पदार्थों या प्रवहणों] के फ़ोटोचित्र लेने और ऐसे फ़ोटोचित्रों का सही होना प्रमाणित करने के लिए; या

(ग) ऐसे मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में ऐसी औषधियों या पदार्थों के प्रतिनिधि नमूने लिए जाने की अनुज्ञा देने के लिए और ऐसे लिए गए नमूनों की किसी सूची का सही होना प्रमाणित करने के लिए।

(3) जहाँ उपधारा (2) के अधीन कोई आवेदन किया जाता है वहाँ ऐसा मजिस्ट्रेट यथाशीघ्र ऐसा आवेदन मंजूर करेगा।

(4) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) या दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 या 2) में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण करने वाला प्रत्येक न्यायालय, उपधारा (2) के अधीन तैयार की गई और मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित तालिका, स्वापक औषधियों, मनः प्रभावी पदार्थों, नियंत्रित पदार्थों या प्रवहणों के फ़ोटोचित्रों और नमूनों की सूची को, ऐसे अपराध के संबंध में, प्राथमिक साक्ष्य मानेगा।

23– उल्लेखनीय है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन साक्ष्य विवेचन से सुस्पष्ट है कि प्रकरण में एसटीएफ टीम की सूचना पर पुलिस चौबेपुर, कानपुर देहात द्वारा कार्यवाही प्रारम्भ किया जाना कहा गया है, परंतु न्यायालय में एसटीएफ टीम का कोई सदस्य परीक्षित नहीं हुआ है। यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि बरगद के पेड़ के नीचे बिक्री हेतु अवैध चरस लेकर बैठी महिला अभियुक्तगण कथित बरामद चरस कहाँ से लेकर आयीं थी, इसकी कोई जाँच पड़ताल क्यों नहीं की गयी।

* यहाँ ही यह भी लिखाना समीचीन है कि पी.डब्लू.–1 वादी मुकदमा ने दौरान प्रतिरीक्षा सशपथ कथन किया है कि "यह बात सही है कि अभियुक्तों ने मुझे कुछ नहीं बताया। म.उ.नि. प्रियंका यादव को अभियुक्तगण ने बताया। उ.नि. प्रियंका यादव ने नजदीक के किसी राजपत्रित अधिकारी का नाम, पदनाम अभियुक्तगण को नहीं बताया था, बल्कि यह बताया था कि पुलिस राजपत्रित

अधिकारी या किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी दी जा सकती है,"जबकि पी.डब्लू.–3 स्वयं प्रियंका, ने यह बयान दिया है कि "अभियुक्तगण से जामातलाशी के बाबत सहमतिपत्र लिखवा लिया था, इसलिए राजपत्रित अधिकारी के यहाँ ले जाना आवश्यक नहीं समझा" और इस प्रकार सुस्पष्ट है कि धारा 50 NDPS Act के प्रावधान के अनुपालन पर भी अभियोजन साक्ष्य अन्तर्बिरोधी है।

* बरामद माल अभियुक्तगण के सचेत/सजग कब्जे में था, इस संबंध में भी यद्यपि मुख्यपरीक्षा में यह कथन किया गया है कि अभियुक्तगण ने पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया था,लेकिन दौरान प्रतिपरीक्षा यह भी कथन किया है कि दोनों महिलाएं किस दिशा में भागी थी, उन्हें याद नहीं। नमूना सील मोहर किस नाम से लगाया गया था, यह भी बताने से इंकार किया है।

* समस्त अभियुक्तगण ने धारा 313 द.प्र.सं. के बयान में यह कथन किया है कि उन्हें झूठा फंसाया गया है।

प्रकरण में यद्यपि वाणिज्यिक मात्रा की बरामदगी स्वमेव अभियुक्तगण के उपरोक्त कथन को खण्डित करती है,परंतु पुलिस अधिकारीगण द्वारा भारी मात्रा की बरामदगी की नियमानुसार, जब्तीकरण व सैम्पलिंग की कार्यवाही ना करना,अभियोजन के लिए घातक भी है। धारा 52–A NDPS Act का प्रावधान इस उद्देश्य से ही निर्मित है कि मालखाने में रखे हुए माल का दुरूपयोग ना हो सके, जैसा कि प्रायः अभियुक्तगण द्वारा पुलिस पर यह आरोप लगाया जाता है। ऐसी स्थिति में यदि प्रकरण का कोई स्वतंत्र साक्षी ना हो तो पुलिस के लिए यह समझदारी व सावधानी होती है कि वे धारा 52–A NDPS Act का नियमानुसार पालन करें तथा बरामद माल की इन्वेंट्री बनाकर मजिस्ट्रेट से सत्यापित करा लेवे, जिससे दोषी दण्डित हो सके।

* प्रकरण में अभियुक्तगण के पास से एक पेड़ के नीचे से वाणिज्यिक मात्रा लगभग डेढ़ किलो–डेढ़ किलो चरस महिला अभियुक्तगण व क्रेता अभियुक्त के पास से बरामद होना बताया गया है। परंतु यह महिलाएं इतनी भारी मात्रा में चरस कहाँ से लेकर आयीं, वास्तविक स्रोत क्या था, इस संबंध में विवेचक ने कोई विवेचना ना करके यह प्रमाण दिया है कि उन्होनें मात्र कागजी कोरम ऐसे गम्भीर प्रकरण में किया है। सभी तात्विक तथ्य व साक्ष्य, यदि अभियोजन न्यायालय के समक्ष पेश करता तो अभियुक्तगण की दोषसिद्धि के पश्चात न्यूनतम दस वर्ष का कारावास अधिरोपित होता, परंतु विवेचक द्वारा विवेचना में अभियुक्तगण को दण्डित कराने हेतु कोई सारभूत प्रयास कर साक्ष्य संकलन नहीं किया गया है, जबकि मूलभूत आधार दस्तावेज तहरीर में ही यह कथन है कि महिला अभियुक्तगण गैर राज्य से भारी मात्रा में चरस लेकर घटनास्थल पर बिक्री करने हेतु उपस्थित थी।

24– इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि एनडीपीएस एक्ट के तहत जनता के स्वतंत्र साक्षी का, अभियुक्तगण की गिरफ्तारी व माल बरामदगी जब्ती के समय उपस्थित ना होना अभियोजन कथानक को खण्डित नहीं करता है।

(Pramod Kumar vs State (GNCT), Delhi AIR 2013 SC

3344, has observed– "Reliable testimony of police personnel can be acted upon even though independent witness hostile.")

परंतु यह भी आवश्यक है कि पुलिस द्वारा एनडीपीएस एक्ट के तहत की गयी कार्यवाही विधि अनुरूप हो तथा पुलिस साक्षीगण विश्वसनीय हो। अभियुक्तगण के विरूद्व प्रस्तुत साक्ष्य समस्त संदेह से परे, अभियुक्तगण की दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त है, तो पुलिस साक्षीगण के बयान पर भी दोषसिद्धि की जा सकती है।

25– माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लगभग एक वर्ष पूर्व निर्णित YUSUF @ ASIF versus STATE, CRIMINAL APPEAL NO.3191 OF 2023 [Arising out of SLP (Crl.) No.3010 of 2023] के प्रकरण में स्पष्ट रूप से धारा 52–A NDPS Act के आज्ञापक प्रावधन के महत्व व अनुपालन ना करने पर उसके परिणाम के संबंध में स्पष्ट रूप से यहाँ तक अवधारित किया है कि यदि बरामद नशीला पदार्थ की धारा 52–A NDPS Act के अनुपालन में कार्यवाही नहीं की गयी है तो प्राथमिक साक्ष्य माने ही नहीं जाएंगे और ऐसी स्थिति प्रकरण का सम्पूर्ण विचारण ही खण्डित हो जाएगा।

26– उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत प्रकरण में भी केसडायरी व न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य से सुस्पष्ट है कि धारा 52–A NDPS Act के अनुपालन में ना तो बरामद माल की इन्वेंट्री (तालिका) तैयार की गयी है, ना ही मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में फोटोचित्र आदि लेकर प्रमाणित कराया गया है। अतः ऐसी दशा में महत्वपूर्ण प्राथमिक साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है।

उक्त के अतिरिक्त विधि विज्ञान प्रयोगशाला की आख्या भी स्पष्ट नहीं है। जब्त विनिषिद्ध वस्तु को मालखाने में जमा करने हेतु तथा विश्लेषण हेतु प्रयोगशाला भेजने के ठीक पहले तक मालखाना में जमा रखने के तथ्य को साबित करने हेतु मालखाना पंजी पेश नहीं की गयी है। यद्यपि केस डायरी के पर्चा सं–6 में माल दाखिल करने की रसीद Case file no RFSL(PRA)/241/CHE/221/21 date of receipt of the case 27/02/2021, का उल्लेख है, परंतु सैम्पल को विश्लेशण हेतु प्रयोगशाला भेजा गया, सैम्पल पैकेट पर लगी सील को मिलान करने हेतु सील का नमूना प्रयोगशाला भेजा गया है या नहीं, इस तथ्य की संतोषजनक पुष्टि नहीं की गयी है। इस तथ्य की भी संतोषजनक पुष्टि नहीं की गयी है कि प्रयोगशाला में भेजा गया सैम्पल की जो सील लगी पायी गयी है, वे विनिषिद्ध वस्तु जब्त होने के तुरंत बाद सैम्पल पैकेट पर लगायी गयी ही सील थी। उक्त तात्विक कमियों के चलते अभियुक्त की दोषमुक्ति स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम सुमेर सिंह, AIR, 2005 SC 1578, के प्रकरण में उचित भी माना गया है।

27– उक्त के अतिरिक्त यहाँ यह भी लिखाना समीचीन है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि वाणिज्यिक मात्रा की नशीले पदार्थ की बरामदगी अधिरोपण (implant) की सम्भावना को नष्ट करता है, परंतु ऐसे मामले में जहाँ वाणिज्यिक मात्रा का नशीले पदार्थ की बरामदगी की जा रही हो, यह भी आवश्यक है कि पुलिस

नियमानुसार एनडीपीएस अधिनियम के आज्ञापक प्रावधानों का कठोरता से अनुपालन करें, जिससे अभियुक्तगण को दण्डित किया जा सके तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा–निर्देशों की अनदेखी भी ना हो।

28– प्रकरण में वाणिज्यिक मात्रा की चरस बरामदगी के संबंध में दस वर्ष के न्यूनतमक कारावास का प्रावधान है। प्रकरण की महिला अभियुक्तगण लगभग चार वर्ष से अधिक वर्ष का कारावास दौरान विचारण पहले ही भुगत चुकी है, यह तथ्य संदर्भ में लेने योग्य है। प्रकरण में ना सिर्फ सामान्य विधिक तकनीकी कमियाँ हैं, बल्कि गम्भीर प्रक्रियात्मक दोष है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उपरोक्त उल्लिखित Yusuf @ Asif v State, के प्रकरण में इस अवधारित इस दिशा–निर्देश के बाद कि "यदि धारा 52–A NDPS Act के अनुपालन में बरामदशुदा माल की इन्वेंटरी तैयार कर उसे सत्यापित नहीं कराया गया है, फोटोग्राफ आदि सत्यापित नहीं कराया गया है, अर्थात धारा 52–A NDPS Act का अनुपालन नहीं है तो प्रकरण में प्राथमिक साक्ष्य हैं ही नहीं और ऐसी कोई साक्ष्य ना होने के कारण सम्पूर्ण विचारण ही खण्डित हो जाता है" इस सिद्धांत की अनदेखी करते हुए अभियुक्तगण को दोषसिद्धि करना विधि सम्मत नहीं होगा। अनेक महत्वपूर्ण तात्विक बिन्दुओं पर अभियोजन साक्ष्य ना सिर्फ लचीली है, अपितु एनडीपीएस एक्ट के आज्ञापक विधिक प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही ना किए जाने के कारण अभियुक्तगण की विधितः दोषसिद्धि योग्य भी नहीं है। निष्कर्षतः अभियुक्तगण के विरूद्ध प्राथमिक, ठोस एवं संतोषजनक साक्ष्य के अभाव में दोषसिद्धि की कार्यवाही मेरे निष्कर्ष में विधिसम्मत नहीं होगी। समस्त अभियुक्तगण को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया जाना विधिसम्मत होगा।

आदेश

अभियुक्तागण श्रीमती सुनीता देवी उर्फ बबीता एवं श्रीमती हसीना खातून उर्फ गोलू, को क्रमशः अंतर्गत सेशन केस संख्या–517/2021 व 518/2021, मुकदमा अपराध संख्या–32/2021 व 33/2021, अंतर्गत धारा–20(B)(ii)(C) स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, थाना चौबेपुर, कानपुर नगर, के आरोप से **"दोषमुक्त"** किया जाता है।

* सहअभियुक्त कमलेश मिश्रा को भी अंतर्गत सेशन केस संख्या–516/2021, मुकदमा अपराध संख्या–34/2021, अंतर्गत धारा–20(B)(ii)(C) एन.डी.पी.एस. एक्ट, थाना चौबेपुर, कानपुर नगर, के आरोप से **"दोषमुक्त"** किया जाता है।

* अभियुक्त कमलेश मिश्रा जमानत पर हैं। शेष अभियुक्तागण श्रीमती सुनीता देवी उर्फ बबीता एवं श्रीमती हसीना खातून उर्फ गोलू, दौरान विचारण जिला कारागार में ही निरुद्ध रही हैं।

* अभियुक्त कमलेश मिश्रा के जमानतनामें व बंधपत्र निरस्त किए जाते हैं तथा उनके जमानतदारों को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

* अभियुक्तगण प्रत्येक दं.प्र.सं. की धारा–437–A के अन्तर्गत 10,000/–(दस हजार) रूपए का स्वबन्धपत्र तथा इतनी ही धनराशि के एक–एक प्रतिभू अन्दर सप्ताह प्रस्तुत करें, जो निर्णय की तिथि से छः माह तक वैध रहेंगे।

* लीडिंग पत्रावली सेशन केस संख्या–517/2021 सरकार बनाम सुनीता देवी उर्फ बबीता, के निर्णय/आदेश की एक–एक प्रति संबंधित अन्य पत्रावलियों में रखी जाए तथा संबंधित अभियुक्तगण को निःशुल्क प्रदान की जाए।

* जप्तशुदा चरस के सैम्पल पैकेट को छोड़कर शेष जप्तशुदा संपत्ति मादक पदार्थ चरस अधिनियम की धारा 52–ए के अन्तर्गत गठित व्ययन कमेटी को नियमानुसार एवं विधि अनुसार व्ययन करने हेतु प्रेषित की जाए तथा जप्तशुदा चरस के सैम्पल पैकेट को अपील अवधि तक सुरक्षार्थ रखा जाए। अपील अवधि पश्चात् अपील न होने की दशा में जप्तशुदा सैम्पल पैकेट को अधिनियम की धारा 52–ए के अन्तर्गत गठित व्ययन कमेटी को नियमानुसार एवं विधि अनुसार व्ययन करने हेतु प्रेषित किया जाए तथा जप्तशुदा प्लास्टिक का झोला मूल्यहीन होने से नष्ट किया जाए। अपील होने की स्थिति में जप्तशुदा सैम्पल पैकेट तथा झोला के संबंध में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही की जाए।

*** जिला कारागार में निरूद्ध दोषमुक्त अभियुक्तागण श्रीमती सुनीता देवी उर्फ बबीता एवं श्रीमती हसीना खातून उर्फ गोलू, का रिहाई आदेश जिला कारागार भेजा जाए तथा उसकी एक प्रति संबंधित पत्रावली में रखी जाए।**

दिनांक–28.05.2025

(पूनम सिंह–I)
ID:UP 1631,
विशेष न्यायाधीश (NDPS Act),
कोर्ट सं.–5, कानपुर देहात।

उपरोक्त निर्णय व आदेश आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक–28.05.2025

(पूनम सिंह–I)
ID:UP 1631,
विशेष न्यायाधीश (NDPS Act),
कोर्ट सं.–5, कानपुर देहात।